



43
3

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 1988

चैत्र 11, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 449/सत्रह--वि-1--1(क)-8-88

लखनऊ, 31 मार्च, 1988

अधिसूचना

विबिध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 31 मार्च, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1988)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि- 2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में
नियम संख्या 15 उपधारा (1) में, शब्द और श्रंक "31 मार्च, 1988" के स्थान पर शब्द और श्रंक "30 सितम्बर,
सन् 1977 की 1988" रख दिये जायेंगे।
धारा 2 का संशो-
धन

ब्राजा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 449(2)/XVII--1-1(K₃)-8-88

Dated Lucknow, March 31, 1988

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1988.

**THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA)
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1988**

[U. P. ACT No. 6 of 1988]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977.

It is HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), for the words and figures "31st day of March, 1988" the words and figures "30th day of September, 1988" shall be substituted.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.